

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
हरिद्वार।

सेवा में,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक: प्रा०शि० / 942 / वा०स्था० / 2025-26

दिनांक 22 मई 2025

विषय: वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षको के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्या: 282747/XXX(2)/2025-E 20917 दिनांक 17 मई 2025 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 15503-8 दिनांक 18 मार्च 2025 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निर्धारित प्राविधानों के अधीन वर्ष 2025-26 में जनपदान्तर्गत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने प्रस्तावित है।

अतः उक्त के क्रम में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पृथक-पृथक पात्रता सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय



(आशुतोष भण्डारी)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)

हरिद्वार।

21/05/25